

जिला



सत्यमेव जयते

गजट

झारखण्ड सरकार
द्वारा प्रकाशित

पाक्षिक संख्या : 15

रामगढ़ दिन : बुधवार
दिनांक 06.01.2016

समाहर्ता द्वारा निकाले गये भू-अर्जन संबंधी
अधिघोषणा

विषय सूची
अधिघोषणा

पृष्ठ संख्या 01

प्रपत्र VII
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अर्जन निदेशालय)

या
समाहर्ता या समुचित सरकार
अधिघोषणा

(अधिनियम-30/2013 की धारा-19 (1) के अधीन)

संख्या— 805/मू0अ0,

रामगढ़, दिनांक 31/12/2015

चूंकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ यथा परियोजना कोडरमा-राँची न्यू बी0जी0 रेलवे लाईन निर्माण हेतु ग्राम माण्डू, थाना माण्डू, थाना सं0 114, अंचल माण्डू, जिला रामगढ़ में कुल 0.185 एकड़ यानि 0.0748 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है।

इसलिए अधिघोषणा किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खंड है, जो मानक माप से कमोवेश 0.185 एकड़ यानि 0.0748 हेक्टेयर है, और जो ग्राम माण्डू, थाना माण्डू, थाना सं0 114, जिला रामगढ़ में है, जिसका विवरण निम्नलिखित है :-

क्रम सं०	खाता सं०	सर्वे भूखंड सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	42	368	रैयती	कृषि	0.055	गोविन्द तेली पिता लाडो महतो	366	370	366	366
2	42	370	रैयती	कृषि	0.13	गोविन्द तेली पिता लाडो महतो	369 368	371 370	427 369 428	370
कुल रकबा					0.185					

यह अधिघोषणा हितबद्ध व्यक्तियों की आपत्तियों के सुनने और अधिनियम संख्या-30/2013 की धारा-15 में प्रदत्त यथा उपबंधित सम्यक जाँच के पश्चात किया गया है।

ह०/-
जिला भू-अर्जन पदाधिकारी,
रामगढ़।

ह०/-
अपर समाहर्ता,
रामगढ़।

ह०/-
उपायुक्त,
रामगढ़।